

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2086 / 2013 / उदयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-डी, उदयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स गुरुदेव भुजिया उद्योग, कलड़वास, उदयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री राकेश मेहता, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 05 / 01 / 2015

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 104/वेट/12-13/उदयपुर में पारित किये गये आदेश दिनांक 10.05.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, '2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-'ब', उदयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2008-09 के लिये वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 01.06.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2008-09 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23 के तहत मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 8.2.2011 को पारित किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में कुल रूपये 8,72,011/- वेट वसूल किया गया। आगत कर रूपये 4,80,944/- के समायोजन के पश्चात रूपये 3,91,067/- देय होते हैं। उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने सम्बन्धी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में व्यवहारी ने प्रस्तुत जवाब में जाहिर किया कि उनके द्वारा दिनांक 27.5.2009 को रूपये 1,97,000/- एवं दिनांक 26.02.2010 को रूपये 1,27,955/- राजकोष में जमा करवाये हैं, किन्तु उक्त जमा की रसीदें प्रस्तुत नहीं की गईं। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 33 सपठित धारा 22 के तहत आदेश पारित करते हुए धारा 61(1) के तहत शास्ति रूपये 7,82,132/- एवं देय कर विलम्ब से जमा करवाये जाने के कारण ब्याज रूपये 58,394/- का आरोपण आदेश दिनांक 01.06.2012 से किया गया।



3. प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.05.2013 से स्वीकार करते हुए उक्त ब्याज एवं शास्ति को अपास्त किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

5. अपीलार्थी राजस्व के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वसूल किया गया कर राजकोष में जमा करवाये जाने बाबत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा कारण बताओ नोटिस की पालना में भी जमा का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधि अनुसार धारा 33 के तहत आदेश पारित करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी की करापवंचन की मंशा के मददेनजर धारा 61(1) के तहत शास्ति एवं देय कर विलम्ब से जमा करवाये जाने के कारण ब्याज का आरोपण किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी थी। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति एवं ब्याज को अपास्त किये जाने में त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी का नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 08.02.2011 को वेट अधिनियम की धारा 23 के तहत पारित किया गया है। इसके पश्चात विवादित आदेश धारा 33 के तहत अन्तर्गत पारित करते हुए वेट अधिनियम की धारा 61(1) के तहत शास्ति आरोपित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अग्रिम कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के कारण बताओ नोटिस दिनांक 29.03.2012 से पूर्व ही दिनांक 27.05.2009 एवं 26.02.2010 को देय वेट राजकोष में जमा करवाया जा चुका था, जिसके चालान की प्रतियां भी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी थी। इसके बावजूद कर निर्धारण अधिकारी ने देय कर जमा नहीं करवाना मानते हुए धारा 61(1) के तहत शास्ति एवं देय कर के विलम्ब के लिये ब्याज का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी ने विवादित आदेश अपास्त किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।



7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का आलौच्य अवधि वर्ष 2008-09 का नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 08.02.2011 को वेट अधिनियम की धारा 23 के तहत पारित किया गया था। इसके पश्चात प्रत्यर्थी व्यवहारी देय कर राजकोष में जमा नहीं करवाये जाने के तथ्य के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधित कर निर्धारण आदेश दिनांक 01.06.2012 पारित किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि "अतः आदेश 22 के तहत पारित किया जाकर कुल देय कर निर्धारित समय पर जमा नहीं कस्वाने पर शास्ति धारा 61(1) में शास्ति आरोपण का प्रतिउत्तर अ0प्र0 द्वारा नहीं दिया गया है। अ0प्र0 की मौन स्वीकृति को स्वीकारते हुए धारा 61(1) में चुगुनी 782132.00 आरोपित की जाती है।"

9. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के कारण बताओ नोटिस दिनांक 29.03.2012 से पूर्व अर्थात् दिनांक 27.05.2009 एवं 26.02.2010 को ही देय वेट राजकोष में जमा करवाया जा चुका था, जिसके चालान की प्रतियां भी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी थी। प्रकरण की उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर वेट अधिनियम की धारा 22 का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-

22. Assessment on failure to deposit tax. -

- (1) Where a dealer has failed to deposit tax in accordance with the provisions of section 20 within the notified period, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner shall, without prejudice to the penal provisions in this Act, after making such enquiry as it may consider necessary and after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard, assess tax for that period to the best of his judgment.
- (2) The tax assessed under sub-section (1), after adjustment of input tax credit and the amount deposited in advance in this behalf, if any, shall be payable by the dealer within thirty days from the date of service of notice of demand. However, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner, after recording reasons in writing, may reduce such period.
- (3) The tax deposited under sub-section (2) shall be adjusted in the assessment for the relevant period.



(4) No order under this section shall be passed after the expiry of nine months from the end of the period for which the tax has not been deposited or, as the case may be, from the last date of submission of return or audit report which has not been submitted.


10. उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा देय कर राजकोष में जमा करवा दिये जाने के पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 22 के तहत कर निर्धारण आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। धारा 22(4) के प्रावधानों के तहत यह कर निर्धारण आदेश अविधिक है। धारा 23 में कर निर्धारण आदेश पारित कर दिये जाने के पश्चात् धारा 22 में कर निर्धारण अनुज्ञेय नहीं है। इसी प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी की करापवंचन की मंशा मानते हुए धारा 61(1) के तहत शास्ति का आरोपण किया जाना भी न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। हस्तगत प्रकरण में कर विलम्ब से जमा कराने का तथ्य है। इसमें बिक्री/खरीद छिपाने या घोषित नहीं करने का कोई उल्लेख कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। करापवंचन की मंशा अवधारित करने का कोई कारण/आधार का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रकरण में करापवंचन होने/करने का कोई बिन्दु निहित होना प्रतीत नहीं होता है।

अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 61(1) के तहत आरोपित शास्ति रूपये 7,82,132/- अपास्त करते हुए इस सीमा तक अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

11. जहाँ तक ब्याज रूपये 58,394/- के आरोपण का प्रश्न है, ब्याज की देयता ऑटोमेटिक है तथा वेट अधिनियम की धारा 55 के तहत कम अदा किये गये वेट पर ब्याज विधिसम्मत रूप से आरोपित किया गया है। ऐसी स्थिति में इस सीमा तक अपीलीय आदेश को अपास्त करते हुए, ब्याज के बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

12. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

13. निर्णय सुनाया गया।


(मनोहर पुरी)
सदस्य